



डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या (उ०प्र०)


Dr. Rammanohar Lohia Avadh University, Ayodhya(U.P)

पत्रांक:-लो०अ०वि० / सा०प्र० / 2380 / 2019

दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-आदेश

कुलपति महोदय के आदेश दिनांक 28.11.2019 के अनुपालन में प्रो० एस०एन० शुक्ला, प्रति-कुलपति को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 की धारा-23 (1) के अन्तर्गत शिकायत प्रतितोष अधिकारी नामित किया जाता है।


कुलसचिव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रो० एस०एन० शुक्ला, प्रति-कुलपति।
2. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक।
3. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी।
4. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. विश्वविद्यालय के विभिन्न अनुभागों के समस्त प्रधान सहायक/प्रभारी।
6. निजी सचिव कुलपति, कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
7. पत्रावली।


कुलसचिव